Rashtriya Shoshit Parishad (Regd.) No.: S/13390

(Recognised by the Govt. of India & exempted U/S 80G of the Income Tax Act. 1961)

राष्ट्रीय शोषित परिषद् (रजि०)

(A Council for the Welfare of SC/ST)

President :
JAI BHAGWAN JATAV
Tel. : 26192066
Mob. : 9810634677, W : 9810634655

B-2 Extn./2,
St. No. 7, Krishna Nagar,
Safdarjung Enclave,
New Delhi-110029

Ref. .....No. RSP/2019/PMO/ 6131

Dated .....29th December, 2019

सेवा में,

श्री नरेन्द्र मोदी जी
माननीय प्रधानमंत्री,
भारत सरकार, साऊथ ब्लॉक,
नई दिल्ली – 110001

विषयः भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा मान्यता (Recognized) प्राप्त एवं सहायता (Aided) प्राप्त करने वाले सभी अल्प संख्यक संस्थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षण लागू कराने के सम्बन्ध में

ज्ञापन

माननीय प्रधानमंत्री जी,

देश के अल्पसंख्यक वर्गों के हजारों कालेज, यूनीवर्सिटीज एवं सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल चल रहे हैं इसके अलावा टेक्नीकल एवं नॉनटेक्नीकल संस्थान भी भारी संख्या में मौजूद है परन्तु उनमें अनु0जाति/जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को आरक्षण नहीं मिलता है। इसके अलावा अनेकों संस्थान ऐसे भी हैं जो भारत सरकार एवं राज्य सरकारों से अनुदान भी लेते हैं और आरक्षण भी लागू नहीं करते। सरकार द्वारा ऐसे सभी अल्पसंख्यक संस्थानों की जॉच कराना अतिआवश्यक हैं। मुख्य रूप से देखने में आया है कि **अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटीज़, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनीवर्सिटीज** भारत सरकार से भारी मात्रा में अनुदान तो प्राप्त करते हैं परन्तु शैक्षिणिक एवं प्रशासनिक स्तर पर किसी भी रूप में आरक्षण देने को तैयार ही नहीं हैं। जबकि भारत सरकार के आदेश हैं कि जो भी शैक्षिणिक संस्थान भारत सरकार के अनुदान से चलेगा उस शैक्षिणिक संस्थान को अनु0जाति/जनजाति वर्ग के बच्चों को आरक्षण देना ही होगा चाहे वह संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान ही क्यों न घोषित हो और जो भी शिक्षण संस्थान भारत सरकार के आरक्षण के नियमों एवं आदेशों का उल्लंघन करेगा उसकी अनुदान राशि तुरन्त प्रभाव से बन्द कर दी जायेगी, परन्तु अल्प संख्यक संस्थानों में न तो अध्यापन (Teaching Staff) और न ही प्रशासनिक (Administrative) कार्य कर रहे स्टाफ में अनु0 जाति/जनजाति वर्गों को आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा न ही शैक्षिणिक स्तर पर बच्चों के दाखिलों में ही आरक्षण दिया जा रहा हैं। हमारा यह संवैधानिक अधिकार है कि भले ही अल्पसंख्यक संस्थान संविधान की धारा 30(1) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हैं। यदि अल्पसंख्यक संस्थान को किसी भी रूप भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता (Grant in Aids) दी जा रही हो, तो ऐसे सभी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू कराया जाये। चाहे वह **संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम युनीवर्सिटीज या जामिया मिलिया इस्लामिया युनीवर्सिटिज** ही क्यों न हो। यदि कोई भी सहायता प्राप्त (Aided) संस्थान अनु0 जाति/जनजाति वर्गों को आरक्षण देने से मना करता हो, चाहे वह किसी भी धार्मिक संस्था या ट्रस्ट द्वारा ही संचालित क्यों न हो, ऐसे सभी संस्थानों की मान्यता रद्द की जाये एवं अनुदान (Aid) राशि तुरन्त बन्द कर दी जाये। चाहे उनमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, जामिया मीलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटीज या अन्य क्रिश्चन (ईसाई) इत्यादि धर्म के मानने वालों के द्वारा ही क्यों न चलाये जा रहे हों।

आरटीआई के द्वारा सूचना मांगने पर भी शैक्षिणिक आयोग यह नहीं बतला पाया कि सरकार के अनुदान से चलने वाले अल्पसंख्यक संस्थान को किस कानून के द्वारा आरक्षण से छूट प्राप्त है।

2. अनु0जाति/जनजाति वर्गों के द्वारा अनेकों धरनों, प्रदर्शनों एवं आन्दोलन हुए थे और जो मांग रखी थी कि दोहरी शिक्षा प्रणाली समाप्त हो तथा एक देश, एक शिक्षा का प्रावधान हो क्योंकि इस दोहरी शिक्षा प्रणाली से समाज में एकता बनाये नहीं रखी जा सकती। देश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्ता वाली अच्छी शिक्षा (Good Quality Education) प्राप्त करने का अधिकार बिना Good Quality Education के देश उन्नति नहीं कर सकता। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के द्वारा 93वें संविधान

संशोधन 2005 में लाया गया था जिसको संविधान की धारा 15 में उपधारा 5 जोड़ी गयी है जो निम्न प्रकार से है।

15 (5) [Nothing in this article or in sub-clause (g) of clause (1) of article 19 shall prevent the State from making any special provision, by law, for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in so far as such special provision relate to their admission to educational institutions including private educational institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30.]

जो धारा भारतीय संविधान की धारा 15 में उपधारा 5 जोड़ी गयी है उसको सख्ती से पालन कराया जाये तथा सभी प्राइवेट पब्लिक शैक्षिणिक संस्थानों में अनु0जाति/जनजाति वर्ग का अनुपातिक आरक्षण लागू कराया जाये।

हमारी मांग है कि यदि कोई भी संस्थान, भारत सरकार/राज्य सरकार से अनुदान लेता हो या नहीं भी लेता हो, तो भी उन सभी प्राइवेट पब्लिक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण स्वतः ही लागू हो जाता है। यदि कोई भी शिक्षण संस्थान इसे लागू नहीं करे या आनाकानी करे तो उसकी मान्यता समाप्त की जाये। भारत सरकार/राज्य सरकारें इसका विधिवत रूप से सर्वे करा कर तीन महीनों के अन्दर अन्दर इसका अनुपालन सुनिश्चित करे।

धन्यवाद सहित,

आपका

(जय भगवान जाटव)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः

1. आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' केन्द्रीय मंत्री जी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. श्री थावर चन्द गहलौत, आदरणीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली
3. श्रीमती सीता रमण, माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली